प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बदायूँ
कार्यालय विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या–6221 एडमिन "जी–2019 इलाहाबाद दिनॉकित 14/05/2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में जनपद बदायूँ के परिवार न्यायालयों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जानी है, जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–102/सात–न्याय–2–2015–728/86 न्याय अनुभाग–2 अधीनस्थ न्यायालय, लखनऊ दिनॉक 18/06/2015 के अंतर्गत निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से आवेदन–पत्र आंमत्रित किये जाते हैं:-

1– आवेदक समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और समाज सेवा का अनुभव हो। ऐसे आवेदक, जो सामजिक कार्य में मास्टर डिग्रीधारक हो और पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो, को वरीयता दी जायेगी।

2– आवेदक की आयु इस विज्ञप्ति के जारी होने की दिनॉक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

3– परामर्शदाता का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष का होगा।

4– परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

5– नियुक्त परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत मानदेय देय होगा।

6– जनपद बदायूँ के आवेदकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी और जनपद बदायूँ के अर्ह आवेदक उपलब्ध न होने पर दूसरे जिले के आवेदकों की नियुक्ति पर विचार किया जावेगा।

7– पदों की संख्या 02 है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के घटाई अथवा बढाई जा सकती है।

जो पुरुष अथवा महिला इस पद पर नियुक्ति के इच्छुक हो वे अपना आवेदन–पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति सहित दिनॉक 10/06/2019 सायं 3 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, बदायूँ में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रुप से प्रेषित कर सकते हैं।

03/06/2019

(डॉ0 अजय कृष्ण विश्वेश)

जनपद न्यायाधीश,

बदायूँ।

प्रतिलिपि–

1– प्रभारी अधिकारी, नजारत, जनपद न्यायालय, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त आदेश की प्रति प्रशासनिक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, बार एसोसिएशन, जनपद न्यायालय, बदायूँ, बार एसोसिएशन कलेक्ट्रेट व बाह्य न्यायालय, बिसौली एवं सहसवान के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

2– जिला सूचना अधिकारी, बदायूँ को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

3– सिस्टम अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित हो कि वह उक्त आदेश की प्रतिलिपि को जनपद न्यायालय, बदायूँ व माननीय उच्च न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

जनपद न्यायाधीश, 03/06/2019

बदायूँ।

जिला न्यायालय, बदायूँ के अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय हेतु परामर्शदाता के रुप में नियुक्ति के लिए आवेदन–पत्र का प्रारुप

1. पद का नाम...

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)..
(अंग्रेजी में)..

3. पिता/पति का नाम (हिन्दी में)..
(अंग्रेजी में)..

4. स्थायी आवासीय पता..
....

5. पत्राचार हेतु पता..
....

6. जन्म तिथि..

7. दिनॉक 30/05/2019 को अभ्यर्थी की आयु वर्ष माह दिन (जन्म तिथि के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें।)

8. शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण परीक्षाओं का उल्लेख करें और प्रमाण–पत्रों तथा अंकतालिकाओं की छाया प्रतियॉं संलग्नक करें–

शैक्षिक योग्यता का विवरण–

कम सं0	परीक्षा डिग्री	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	टिप्पणी

9. क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित है अथवा उसे किसी आपराधिक वाद में दण्डित किया गया है (यदि हॉं तो उसका उल्लेख करें)..

नोट– यह आवेदन पत्र में उल्लिखित किया जाना आवश्यक है।

10– अनुभव यदि कोई हो तो..

घोषणा–पत्र

मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण/सूचनाएं सत्य हैं और मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। यदि कोई विवरण सूचना असत्य गलत पायी जाती है या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरांत ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जाये।

संलग्नकों की संख्या

1. अंको एवं शब्दों में–
2. विवरण
3. तिथि

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर व पता